

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 362
30 नवम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों का प्रबंधन और विनियमन

362. श्री खगेन मुर्मु:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सहकारी समितियों के प्रबंधन और विनियमन की समीक्षा करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सहकारी समितियों का प्रबंधन और विनियमन एक सतत कार्य है और इस दिशा में पहल भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार की जाती है, जैसा कि राजपत्र अधिसूचना संख्या 2516 दिनांक 06.07.2021 में अधिसूचित है और अनुलग्नक-1 में दर्शाया गया है।

भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961

सहकारिता मंत्रालय

1. सहकारिता के क्षेत्र में साधारण नीति और सभी क्षेत्रों में सहकारिता क्रियाकलापों का समन्वय ।

नोट:- संबंधित मंत्रालय संबंधित क्षेत्रों में सहकारिता के लिए उत्तरदायी हैं।

2. "सहकारिता से समृद्धि की ओर" सपने को साकार करना।
3. देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच बनाना।
4. देश के विकास के लिए अपने सदस्यों के बीच जिम्मेदारी की भावना सहित सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना।
5. सहकारी समितियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के लिए उपयुक्त नीति, विधिक और संस्थागत कार्यवाहियों का निर्माण।
6. राष्ट्रीय सहकारी संगठनों से संबंधित मामले।
7. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम।
8. 'बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' के प्रशासन सहित एक ही राज्य तक सीमित न रहने वाली सहकारी समितियों का निगमन, विनियमन और समापन:
बशर्ते कि इसके नियंत्रण में कार्यरत सहकारी इकाइयों के लिए बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग 'केंद्र सरकार' होगा।
9. सहकारी विभागों और सहकारी संस्थाओं के कर्मियों का प्रशिक्षण (सदस्यों, पदाधिकारियों और गैर-अधिकारियों की शिक्षा सहित)।
